राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत छापली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत छापली

प्रकरण सं. – 06/2010 रे0वा0 निर्णय दिनांक –29.06.2015

अनवान

1. श्री धर्मचन्द पिता खेमराज जाति महाजन निवासी छापली तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार पिता सोहनलाल निवासी छापली हाल ननसार तहसील कामरेज जिला सुरत गुजरात
2. श्री विनोद कुमार पिता सोहनलाल निवासी छापली हाल ननसार तहसील कामरेज जिला सुरत गुजरात
3. श्री हरीश कुमार पिता सोहनलाल निवासी छापली हाल ननसार तहसील कामरेज जिला सुरत गुजरात
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए

वादीगण एवं सोहनलाल सगे भाई थे तथा नीचे वर्णित जायदाद वादीगण की पैतृक होकर उनके पिता के समय सम चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात का वर्णन निम्न प्रकार है जो मौजा छापली पटवार हल्का छापली तहसील भीम में स्थित है:–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
89	3189	00.14.00
	3280	00.12.10

कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 06 विस्वा 10 विस्वांसी

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
90	2994	02.00.00
	3089	01.01.00
	3090	00.12.00
	3345	00.08.00

कुल किता 4 रकबा 04 बीघा 01 विस्वा 10 विस्वांसी

वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में समस्त चल अचल सम्पति के बारे में जो मौजा छापली हल्का आबादी में थी तथा उपर वर्णित कृषि भूमि सभी का भाई बंटवारा कर दिया गया था। उस बटवारे के आधार पर वादीगण को समस्त कृषि भूमियो का हक व अधिकार दिया गया था व शेष जायदाद मे मकान में ज्यादा हिस्सा प्रतिवादी के पिता सोहनलाल जी का दिया गया था उस आधार सोहनलाल को कृषि में हिस्सा नही दिया गया था उक्त लिखतम भी स्वयं सोहनलाल जी के द्वारा वादीगण के पिता ने लिखवाई थी जो संवत 2017 की वैसाख बदी 12 में लिखवाई गई थी। तब से पिता के समय से हिस्से के अनुरूप वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजियात पर वादीगण शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त वर्णित आराजियात पर बंटवारा करने के पश्चात कोई अधिकार नही रहा था न ही सोहनलाल तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण ने ही कभी उक्त भूमि पर कभी किसी प्रकार की कोई काश्त ही की है तथा वे भी यह जानते व समझते है कि हमें बंटवारे में कृषि भूमियो का हिस्सा नही दिया गया है इसी आधार पर उन्होने कभी भी उक्त आराजियात पर आना नही चाहा है न ही वे कभी वे उक्त आराजियात पर आये ही है। संवत 2017 से प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात पर कोई हक व अधिकार नही रहा है न ही कोई कब्जा संवत् 2017 से अर्थात लगभग 50 वर्षो से नही रहा है जिस कारण से वादीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण कानूनन रूप से भी बंटवारे के अनुसार अब उक्त आराजियात पर किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा पाने का अधिकारी नही रहता है क्योकि उक्त बंटवारा पचास वर्ष पूर्व का होकर स्वय प्रतिवादीगण के पिता द्वारा लिखा गया है तथा उक्त बंटवारा सभी भाईयो एवं परिवारजन की सहमति से पिताजी की कहे अनुसार रजामन्दी से किया गया था।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प छापली** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद पूर्व में 50 वर्ष भाईयो एवं परिवाजनो की सहमति से पिताजी के कहे अनुसार रजामन्दी से बंटवारा हो चुका है। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner